<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

13.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमुल सेठना के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में स्थित **6.80 करोड़ रुपये** मूल्य की तीन अचल संपत्तियों, जिनमें एक बंगला और दो खुले भू-खंड शामिल हैं, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने अहमदाबाद के नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि तहमुल सेठना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो विभिन्न मानवीय और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित ट्रस्ट "पर्यावरण अनुसंधान और विकास केंद्र" के सभी मामलों को संभाल रहा था और ट्रस्ट का प्रबंधन करते समय, ट्रस्टियों के जाली हस्ताक्षर जारी करके उनकी जानकारी के बिना उसने ट्रस्ट के बैंक खाते से ६.८५ करोड़ रुपये की अनधिकृत निकासी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि ट्रस्ट के बैंक खाते से की गई अनधिकृत निकासी को आरोपी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा नियंत्रित कई व्यक्तियों/संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था, जिससे धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने और दागी धन को बेदाग दिखाने के लिए लेन-देन का जाल बिछाया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।